राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर

निगम की स्कैनिया बसों में कॉम्प्रेहेन्सिव बीमा कराने हेतु

निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ/बीमा/डी/20–2021/01 दिनांकः–06.05.2020

ई–टेण्ड़रिंग निविदा सूचना

क्र. सं.	कार्य का विवरण	पात्रता	कार्य की अनुमानित लागत	टैण्ड़र प्रपत्र की लागत	टैण्ड़र प्रोसेसिंग फीस	टेण्डर दस्तावेज जमा कराने हेतु अंतिम तिथी/ खोलने की तिथी
1	राजस्थान परिवहन निगम की 27 सुपर लग्जरी स्कैनिया वाहनों का कॉम्प्रेहेन्सिव बीमा पॉलिसी नवीनीकरण कार्य	आई0आर0डी0ए0 द्वारा भारत में वाहन बीमा व्यवसाय हेतु अधिकृत कम्पनिया ही भाग ले सकती है।	18लाख रूपये	200रू (chief manager rsrtc deluxe depot Jaipur को देय)	500रू (MD RISL Jaipur को देय)	27.05.2020 दोपहर 17.00बजे तक 28.05.2020 12.00बजे तक

नोटः–

1. निविदा की समस्त प्रकिया ऑनलाईन होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय निविदाऐं खोली जावेगी।
3. निविदादाता निगम की स्कैनिया वाहनों का कॉम्प्रेहेन्सिव बीमा करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई–टेन्डरिंग प्रकिया द्वारा ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करेगा।
4. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाकर अथवा e-procurement cell RISL, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर से यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। (इस कार्य हेतु हैल्प डेस्ट नंबर 0120–4200462, 0120–4001002, 91–8826246593 पर समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 तक कार्य दिवसों में सम्पर्क किया जा सकता है इसके अतिरिक्त समस्त कार्यदिवसों यथा सोमवार से शुक्रवार को समय प्रातः 09.30बजे से 06.00बजे तक स्थानीय दूरभाष नंबर 0141–4022688) पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस संबंध में हैल्प डेस्क के ई–मेल आई0डी0 Support-eproc@nic.in पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
5. निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए सूचना एवं निविदाकर्ता की पात्रता आदि की शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ http://eproc.rajasthan.gov.in, http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc, http://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है तथा ऑन लाईन ई–टेण्ड़र http://sppp.rajasthan.gov.in पर ही प्रस्तुत की जानी है। निविदा सूचना में किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन/सुधार की स्थिति में सूचना पर http://eproc.rajasthan.gov.in, http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc, http://sppp.rajasthan.gov.in प्रकाशित की जावेगी।
6. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा सुरक्षा राशि 36,000रूपये की डी0डी0 (Chief manager, rsrtc, deluxe depot Jaipur) के नाम से प्रस्तुत करनी होगी तथा निविदा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर कार्य/बीमा की वार्षिक लागत की 5 प्रतिशत राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में जरिये डी0डी0/ बैंक गारण्टी जमा करानी आवश्यक होगी। **किन्तु केन्द्र/राज्य के अधीन संचालित बीमा कम्पनियों को निविदा सुरक्षा राशि के संबंध में निविदा के साथ हस्ताक्षरयुक्त घोषणा–पत्र (प्रपत्र अ) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।**
7. अपूर्ण एवं सशर्त निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिये जावेगें।
8. निविदा प्रपत्र में आवेदन करते समय निविदा शुल्क 200रूपये की डी0डी0संख्या एवं बैंक का नाम व ब्रॉन्च इत्यादि का विवरण अंकित करें।

निविदा प्रपत्र संख्याः—एफ / बीमा / डी / 20—2021 / 01 दिनांकः—06.05.2020

9. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क / प्रोसेसिंग शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 27.05.2020 को 17.00बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
10. कोई भी टेण्ड़र इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजीटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास वैद्य डिजीटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
12. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार (Chief manager, deluxe depot Jaipur) को डी0डी0 जमा करानी होगी तथा टेण्ड़र प्रोसेसिंग शुल्क एम0डी0 आर0आई0एस0एल0 के नाम डी0डी0 देय होगी, जो मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर टी0बी0 सेन्टोरियम के पास, जयपुर के कार्यालय में निविदा की अंतिम दिनांक से एक दिवस पूर्व व्यक्तिगत / जरिये डाक जमा कराना आवश्यक होगा। यदि निविदादाता द्वारा दिनांक 27.05.2020 को 17.00बजे तक उक्त डी0डी0 प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। निविदादाता को उक्त देय डी0डी0 की फोटो प्रतियां ऑन लाईन निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
13. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजीटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
14. इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
15. ऑनलाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी।
16. टेण्ड़र के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करावें। निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई जानकारी / दस्तावेज को निगम स्तर पर सत्यापन का अधिकार सुरक्षित है।
17. निविदा को किसी भी समय निरस्त करने अथवा निविदा में उल्लेखित वाहनों की संख्या में कमी करने का अधिकार निगम का सुरक्षित है।
18. तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग—अलग खोली जावेगी। इसलिए दोनो निविदायें अलग—अलग ऑनलाईन भरी जावेगी एवं उस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी / वित्तीय निविदा (जैसी भी स्थिति हो) अंकित हो। तकनीकी रूप में योग्य पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें खोली जावेगी अन्य निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

निविदादाता को निविदा—शुल्क एवं धरोहर राशि की डी0डी0 Chief manager, deluxe depot payble at Jaipur के नाम से बनवानी होगें जो निविदा खोले जाने से पूर्व व्यक्तिगत अथवा जरिये डाक मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार, जयपुर के कार्यालय में जमा हो जानी चाहिये, अन्यथा ऑन लाईन प्रस्तुत निविदा निरस्त योग्य होगी।

मुख्य प्रबन्धक
डीलक्स आगार, जयपुर।

निविदा प्रपत्र संख्याः—एफ / बीमा / डी / 20—2021 / 01 दिनांकः—06.05.2020

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर

निगम की स्कैनिया बसों में कॉम्प्रहेन्सिव बीमा कराने हेतु ई—तकनीकी निविदा प्रपत्र

ई— तकनीकी निविदा — प्रपत्र

मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम,
डीलक्स आगार, झोटवाड़ा रोड़
जयपुर—302016

विषयः— राजस्थान परिवहन निगम की 27 सुपर लग्जरी स्कैनिया वाहनों की कॉम्प्रेहेन्सिव बीमा पॉलिसी नवीनीकरण हेतु जारी निविदा प्रपत्र क्रय करने के संबंध में।
संदर्भः— निविदा संख्या एफ / बीमा / डी / 2020—21 / 01 दिनांक 06.05.2020 के क्रम में।

————————

1. हम यह घोषणा करते है कि हमारी बीमा कम्पनी निविदा की समस्त पात्रता एवं योग्यतायें पूर्ण करती है तथा निगम द्वारा वांछित बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु अधिकृत है।
2. हमारे द्वारा निविदा प्रपत्रों को भलि—भांति पढ़ लिया गया है।
3. हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रस्ताव, निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक से 90 दिवस हेतु मान्य होगें, जो निविदा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की स्थिति में निविदा की शर्तानुसार अवधि के मान्य होगें।
4. हमारे प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किये जाने की स्थिति में निगम द्वारा जारी आदेशानुसार वाहनों की बीमा पॉलिसी नवीनीकृत करेगें तथा इस हेतु निगम द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार अनुबन्ध करने हेतु स्वीकृति देते है।
5. हमारी फर्म / कम्पनी भारत में बीमा व्यवसाय करने हेतु आई0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत की हुई है।
6. हमारी कम्पनी निगम की वाहनों हेतु जारी बीमा पॉलिसी के तहत वांछित सुविधायें बीमा अवधि के दौरान उपलब्ध करायेगी।
7. हमारी कम्पनी उक्त निविदा के तहत प्रस्ताव सीधे कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कर रही है, जिसमें कोई ब्रोकर सम्मिलित नहीं है।
8. हमारी कम्पनी को केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा ब्लेक लिस्टेड़ / प्रतिबंधित नहीं किया हुआ है।
9. हमारी कम्पनी को ज्ञात है कि निगम सर्वाधिक कम दर प्रस्तावकर्ता कम्पनी को बीमा पॉलिसी नवीनीकरण हेतु अधिकृत करने हेतु बाध्य नहीं है।

पूरा नामः—
हैसियतः— मालिक / पार्टनर
पूर्ण पताः—

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डिजीटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1 मैं/हम डी.डी. संख्या–––––––––––––––– दिनांक––––––––––राशि रूपयें –––––––––––––– अक्षरें–––––––––––––––––––––––––जो कि मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार, जयपुर के नाम देय है संलग्न कर रहे है/कर दिया है।

2 मैं/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तो की पालना का वचन देता हूॅ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबन्ध–पत्र पर हस्ताक्षर कर दूॅगा/देगें ।

3 मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूॅ कि मैने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की तरफ से नहीं दिये गये है।

4 मैं/हम वचन देता/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव दिनांक 31.03.2021 की अवधि तक लागू रहेगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर–निविदादाता

मय पद/हैसियत व मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर

निगम की स्कैनिया बसों में कॉम्प्रहेन्सिव बीमा कराने हेतु
वित्तीय योग्यता– प्रपत्र

(यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है।)

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपये 200 / –
(अक्षरेः–दौ सौ रूपये)
डी.डी. सं0———————दिनांक———————

1. फर्म / व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता ——————————————————————————————————————

2. टेलीफोन नम्बर / मो0 ——————————————
कार्यालय– ——————————————
निवास ——————————————

3. ई–मेल आई0डी0 ——————————————

6. फर्म / कम्पनी का नाम व पूरा पता ——————————————

7. बैक का नाम,खाता संख्या,ब्रांच,आई.एफ.एस.सी संख्या ——————————————

8. निविदा प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावेजों की संख्या एवं विवरण——————————

पूरा नामः–
हैसियतः– मालिक / पार्टनर
पूर्ण पताः–

नोट–

1. **टैक्स की दरें BOQ में प्रतिशत में प्रस्तुत की जानी चाहिये।**
2. **बीमा प्रीमियम की दरें केवल स्कैनिया वाहनों की बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु मान्य होगीं।**
3. **किसी प्रकार के सशर्त प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगें। कृपया NCB 0% मानते हुये न्यूनतम बीमा प्रीमियम की दरें BOQ में प्रस्तुत करें।**
4. **निविदा में तृतीय पक्ष बीमा की दरें IRDA के नियमानुसार प्रस्तुत की जानी चाहिये, जो बीमा की दिनांक को IRDA द्वारा लागू मान्य होगी।**

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ / बीमा / डी / 20–2021 / 01 **दिनांकः–06.05.2020**

निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्रतायें–

1. बीमा कम्पनी का जयपुर में ब्रॉन्च कार्यालय होना आवश्यक है।
2. बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्ताव सीधे ही कम्पनी के मार्फ्त प्रस्तत किये जावेगें। ब्रोकर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगें।
3. बीमा कम्पनी आई0आर0डी0ए0 द्वारा बीमा व्यवसाय हेतु स्वीकृत होनी चाहिये।
4. बीमा कम्पनी को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा बीमा व्यवसाय हेतु प्रतिबंधित नहीं किया हुआ होना चाहिये।
5. निविदा के तहत निगम द्वारा निर्धारित पात्रतायें / शर्ते पूर्ण करने वाली फर्म के प्रस्ताव पर ही विचार किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ/बीमा/डी/20–2021/01 **दिनांकः–06.05.2020**

निविदादाता हेतु निर्देश

1. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज–
   - **निविदा फीस डी0डी0 200रू**
   - **प्रोसेसिंग फीस डी0डी0 500रू**
   - **निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों पर निविदादाता कम्पनी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय मुहर अंकित होना आवश्यक है।**
   - **कम्पनी द्वारा ब्रॉन्च ऑफिस को निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत करने के संबंध में जारी अथोरिटी पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न होना चाहिये।**
   - **निविदादाता की ओर से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा–पत्र**
   - **बिड/परफोरमेन्स सिक्यूरिटी घोषणा–पत्र**
2. निविदा प्रपत्रों का विक्रय
   - निविदा प्रपत्र, निविदा प्रकाशन के उपरान्त मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है अथवा निगम/राज्य उपापन पोर्टल की वेबसाईट से डाउनलोड़ किये जा सकते है।
3. निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस
   - निविदा प्रोसेसिंग फीस 500रूपये जरिये डी0डी0 प्रस्तुत की जानी है। डी0डी0 MD RISL Jaipur के पक्ष में देय तैयार कर प्रस्तुत की जानी है।
   - निविदा प्रपत्र शुल्क 200रूपये जरिये डी0डी0 प्रस्तुत की जानी है। डी0डी0 Chief Manager, Deluxe depot, Jaipur के पक्ष में देय तैयार कर प्रस्तुत की जानी है।
4. निविदा स्वीकार किये जाने पर वाहनों की वर्तमान बीमा पॉलिसी की अवधि समय–समय पर पूर्ण होने की दिनांक से पूर्व वाहनवार प्रीमियम की गणना के अनुसार चयनित बीमा कम्पनी को चैक के जरिये बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जावेगा, जिसकी वाहनवार बीमा पॉलिसी तैयार करवाकर **''मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार, झोटवाड़ा रोड़, जयपुर''** के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
5. निविदा की शर्तो अथवा कार्यादेश जारी होने के उपरान्त किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर द्वितीय अपीलीय अधिकारी होगें। कोई भी विवाद अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये बिना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सकेगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

निविदा प्रपत्र संख्याः—एफ/बीमा/डी/20—2021/01 दिनांकः—06.05.2020

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री व निगम वाहनों का सम्पूर्ण एवं तृतीय पक्ष बीमा करवाये जाने हेतु निविदा शर्तें ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के यात्री व निगम वाहनों का सम्पूर्ण एवं तृतीय पक्ष बीमा कराये जाने पर बीमित वाहनों व यात्रियों के मामले में निम्नानुसार पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा —

1. निगम की वर्ष 2015/2016/2017 मॉड्ल की 27 स्कैनिया बसों (21 सिंगल एक्सल एवं 06 मल्टीएक्सल) का सम्पूर्ण (Comprehensive) बीमा कराया जाना है।
2. बीमा अवधि में दुर्घटनाग्रस्त वाहन व यात्रियों के मामले में निगम के विरूद्व न्यायालय द्वारा आदेशित सभी प्रकार के दावों की राशि का पुनर्भरण ।
3. दुर्घटनाग्रस्त वाहन की सूचना निगम द्वारा दिये जाने के उपरान्त, अधिकतम 24 घन्टे में बीमा कम्पनी के अनवेक्षकों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अटेण्ड करना आवश्यक होगा।
4. किसी भी दावे एवम् उसके विरूद्व अपील का प्रतिरक्षण/खर्चे/शास्ती के लिए बीमा कम्पनी की पूर्णतया जिम्मेदारी रहेगी एवम् उक्त खर्चो का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
5. निगम को पक्षकार बनाने पर दावे की प्रति से प्राप्त क्लेम/अपील की प्रति निगम को प्राप्त होने पर बीमा कम्पनी को प्रतिरक्षण हेतु स्थानान्तरित कर दी जावेगी एवम् प्राप्ति की रसीद ली जावेगी।
6. राजस्थान राज्य एवम् राजस्थान से बाहर भारत देश में दायर समस्त दावों/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में वाद/अपील दायर होते हैं तो बीमा कम्पनी के अधिवक्ताओं द्वारा ही प्रतिरक्षण (कन्टेस्ट) किये जावेगें।
7. बीमित अवधि के समस्त बीमा दावों का बीमित अवधि के पश्चात भी न्यायालय निर्णयानुसार पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
8. यात्रियों व तृतीय पक्ष को समस्त भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
9. न्यायालय में समस्त दावे जिनमें निगम को पक्षकार बनाया जावेगा, बीमा कम्पनी के द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिरक्षण किया जावेगा।
10. वाहनों की औसत बैठक क्षमता 43/49/51 यात्री है।
11. निविदादाता द्वारा निविदा सील बन्द लिफाफे में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगें साथ ही नियम एवं शर्तो की हस्ताक्षर शुदा प्रति निविदा के साथ संलग्न कर लौटानी होगी, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. निविदा में किसी भी तरह की काट छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। दरें शब्दों तथा अंकों में संलग्न निविदा प्रपत्र में स्पष्ट वर्णित होनी चाहिये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

13. बीमा कम्पनियों से प्राप्त बीमा प्रीमियम प्रस्ताव पर निगम द्वारा नेगोसिएशन अपनी शर्तो के आधार पर किया जावेगा।
14. बीमा कम्पनियॉ उक्त वाहनों व यात्रियों का बीमा कराने के लिये निगम को अपनी ओर से सुधारात्मक सुझाव / प्रस्ताव जो निगम हित में हो दे सकती है।
15. निगम की वाहनें विभिन्न आगारों द्वारा राजस्थान क्षेत्र एवं अन्य राज्यों में भी संचालित की जाती है जो बीमा हेतु सम्मिलित होगीं।
16. निविदा दिनांक 28.05.2020 को मध्यान्ह पश्चात 12.00 बजे खोली जावेगी।
17. निगम को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
18. न्यायालय द्वारा निगम खाते से न्यायालय अवार्ड के तहत राशि अटेचमेन्ट करली जाती है / निकाली जाती है तो वह राशि बीमा कम्पनी द्वारा निगम को तुरन्त भुगतान करनी होगी।
19. अनुबन्ध अवधि से सम्बन्धित धटना के मोटर दुर्घटना की अपीलों में समुचित प्रतिरक्षण की कार्यवाही नहीं होने अथवा एकतरफा कार्यवाही होने पर आने वाले दायित्व (खर्चा / मुआवजा) का वहन बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा। इस स्थिति में निगम के द्वारा अपने उपर आये हुए अतिरिक्त दायित्व के विरूद्व में किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करने पर होने वाले खर्चे का वहन / पुनर्भरण के लिए बीमा कम्पनी उत्तरदायी होगी। यदि प्रतिरक्षण की कार्यवाही निगम के द्वारा दी जाने गवाहों / सूचना / दस्तावेजों में विलम्ब के कारण प्रभावित होती है तो उस स्थिति में निगम में आने वाले दायित्व (खर्चा / मुआवजा) का वहन निगम द्वारा किया जावेगा।
20. न्यायालय / अधिकरण द्वारा पारित की गई दावों की राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
21. राज्य के बाहर एवम् आगार कार्य क्षेत्र के बाहर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के लिए अधिकृत वकीलों / अनवेक्षकों की व्यवस्था भी बीमा कम्पनी को करनी होगी और उसकी सूचना निगम को देनी होगी।
22. दुर्घटना के फलस्वरूप तृतीय पक्ष सम्पत्ति की क्षति के लिए अधिकरण / न्यायालय द्वारा कोई राशि तृतीय पक्ष को दिलाई जाती है, उसके भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी की होगी।
23. बीमा कम्पनी का जयपुर में कार्यालय होना आवश्यक है।
24. बीमा कम्पनियों से निविदा प्रस्ताव सीधे कम्पनी के माध्यम से ही प्रेषित किये जाने आवश्यक है। **ब्रोकर एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा ब्लेक लिस्टेड कम्पनियों के माध्यम से प्राप्त निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगें।**

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैंने उपरोक्त पेज संख्या 8 से 9 पर अंकित समस्त नियम एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढा है एवं सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

निगम की 27 स्कैनिया बसों (06मल्टीएक्सल एवं 21 सिंगल एक्सल) का सम्पूर्ण बीमा (कॉम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स) पॉलिसी योजना हेतु अनुबन्ध—पत्र

यह अनुबन्ध—पत्र आज दिनांक ....को मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर (जिसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रतिनिधी अथवा प्राधिकृत अधिकारी सम्मिलित है) जो इस अनुबन्ध में प्रथम पक्ष कहलायेगा एवं ....(बीमा कम्पनी) (जिसमें इस कम्पनी के उत्तराधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी सम्मिलित है) जो कि द्वितीय पक्ष कहलायेगा, के मध्य अनुबन्ध किया जा रहा है।

1— यह कि प्रथम पक्ष अर्थात राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो कि एक सार्वजनिक उपक्रम है तथा सड़क परिवहन निगम अधिनियम—1950 की धारा—3 के तहत गठित है जिसका कार्यालय मुख्य प्रबन्धक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर (प्रधान कार्यालय—परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर) पर स्थित है एवं मैसर्स.. .... स्थित है।

2. यह कि प्रथम पक्ष अपनी 27 स्कैनिया बसों (21 सिंगल एक्सल एवं 06 मल्टीएक्सल) का सम्पूर्ण बीमा (बस की क्षति आईएमटी 23, यात्री एवं तृतीय पक्ष को दुर्घटना में होने वाली समस्त क्षति) द्वितीय पक्ष के साथ बीमा पॉलिसी का द्वितीय नवीनीकरण किया है। प्रथम पक्ष अपनी 27 बसों के लिये प्रति बस बीमा प्रीमियम (संलग्न—1 से 10) होगा। यह अनुबन्ध प्रीमीयम जमा होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि या बीमा पालिसी की अवधि तक के लिये प्रभावी रहेगा। बीमा पालिसी की अवधि की समाप्ति पर दोनों पक्षों की सहमति पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकेगा अथवा पुनः अनुबन्ध किया जा सकेगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष का जयपुर स्थित लोकल कार्यालय .... के कार्यालय में निगम बीमित बसों से संबंधित दावों को प्रस्तुत कर सकेगी जिसका निस्तारण इसी कार्यालय द्वारा किया जावेगा तथा उक्त बीमा दावों से संबंधित किसी भी कार्य के लिये सम्पर्क कर सकेगें।

4. यह कि प्रथम पक्ष की बीमित बसों से दुर्घटना के संबंध में सम्पूर्ण बीमा के अन्तर्गत बस, यात्री एवं तृतीय पक्ष को होने वाली समस्त क्षति का भुगतान, बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं, नियमों एवं उपनियमों व मोटर वाहन अधिनियम,1988 के तहत द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।

5. यह कि प्रथम पक्ष की बसों से दुर्घटना के संबध में (जो भारत के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है) तृतीय पक्ष से दावा प्रस्तुत होगा तो द्वितीय पक्ष द्वारा उस दावे का प्रतिरक्षण किया जावेगा एवं मुआवजा मय ब्याज राशि का भुगतान बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं, नियमों एवं उपनियमों व मोटर वाहन अधिनियम,1988 के तहत किया जावेगा। तृतीय पक्ष के दावों का भुगतान/निस्तारण एम0ए0सी0टी0 के प्रावधानों के अनुसार करना होगा।

6. यह निगम बस की दुर्घटना से किसी तृतीय पक्ष प्रोपर्टी को हुये नुकसान के संबंध में मुआवजा राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं, नियमों एवं उपनियमों व मोटर वाहन अधिनियम,1988 के तहत, द्वितीय पक्ष का होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

7. यह कि किसी भी दावे एवं उसके विरूद्ध अपील का प्रतिरक्षण/खर्चे/शास्ति के लिये द्वितीय पक्ष की पूर्णतयाः जिम्मेदारी रहेगी एवं उक्त खर्चो का भुगतान एवं पुनर्भरण द्वितीय पक्ष द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं, नियमों, उपनियमों व मोटर वाहन अधिनियम,1988 के तहत किया जावेगा।

8. यह कि उक्त अनुबन्ध अवधि के दौरान बस से हुई दुर्घटना के संबंध में भारत में स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी प्रथम पक्ष के विरूद्ध अथवा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध अथवा दोनों के विरूद्ध बनाये गये पक्षकारों से संबंधित दावों/अपीलों का प्रतिरक्षण (कन्टेस्ट) द्वितीय पक्ष द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं के तहत नियमों एवं उपनियमों व मोटर वाहन अधिनियम,1988 के तहत, ही किया जावेगा। चाहे प्रकरणों का तुरन्त निस्तारण हो या प्रकरणों का कभी भी निस्तारण हो।

9. यह कि प्रथम पक्ष की बस से दुर्घटना होने पर उसकी सूचना तत्काल द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि को दी जावेगी।

10. द्वितीय पक्ष बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं, नियमों एवं उपनियमों व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दावों/अपील के प्रतिरक्षण/समझौते के लिये पूर्णतयाः जिम्मेदार रहेगा एवं द्वितीय पक्ष दावें/अपील के लिये सक्षम होगा

11. यह कि प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध जारी अन्तरिम अथवा अंतिम अवार्ड समय भुगतान की जिम्मेदारी मोटर वाहन अधिनियम,1988 के तहत द्वितीय पक्ष की होगी और भुगतान समय पर नहीं होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दायित्व का वहन भी द्वितीय पक्ष द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं, नियमों एवं उपनियमों के तहत, किया जावेगा।

12. यह कि अनुबन्ध अवधि से संबंधित घटना के मोटर दुर्घटना के बाद की सूचना निगम लिखित रूप में बीमा कम्पनी को देगा । यदि बीमा कम्पनी को परिवादी नहीं बनाया गया है, बावजूद इसके समुचित प्रतिरक्षण की कार्यवाही नहीं होने अथवा एक तरफा कार्यवाही होने पर आने वाले दायित्व का वहन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा ।

13. यह कि निगम को पक्षकार बनाने पर दावें की प्रति से प्राप्त क्लेम/ अपील की प्रति, प्रथम पक्ष को प्राप्त होने पर द्वितीय पक्ष को प्रतिरक्षण हेतु स्थानान्तरित कर दी जावेगी एवं प्राप्ति की रसीद ली जावेगी।

14. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को द्वितीय पक्ष के अन्वेक्षकों द्वारा तुरन्त अटैण्ड़ (24 घण्टे में) करना आवश्यक होगा। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के दावों/ मरम्मत राशि का भुगतान कैशलैस पद्धति से होगा अर्थात वाहन जिस कम्पनी (स्कैनिया) की है उस कम्पनी के अधिकृत कार्यशाला में रिपेयर कराने पर नियमानुसार दावा राशि/मरम्मत राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा सीधे कम्पनी (स्कैनिया) को बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं, नियमों एवं उपनियमों के तहत, किया जावेगा। यदि दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत निगम की/अन्य कार्यशाला में की जाती है तो निगम/अन्य कार्यशाला द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा समस्त औपचारिकताऐं प्रस्तुत करने के एक माह में आवश्यक रूप से करना होगा।

15. न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित की गयी दावों की राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा, बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं, नियमों एवं उपनियमों व मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

16. राजस्थान राज्य एवं राजस्थान से बाहर देश में दायर समस्त दावे एवं उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय में वाद / अपील दायर होते हैं तो बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिरक्षण किया जायेगा । परिवहन निगम उन दावों में जिसमें बीमा कंपनी को परिवादी नहीं बनाया गया है, बीमा कंपनी को वादों की सूचना लिखित रूप में देगा एवं न्यायालय में परिवहन विभाग एक प्रार्थना पत्र पेश करेगा कि बीमा कंपनी को भी परिवादी बनाया जाये। बीमा कंपनी परिवादी न होने की दशा में उत्तरदायी नहीं होगी ।

17. यदि न्यायालय द्वारा निगम के खाते से न्यायालय अवार्ड के तहत राशि अटैचमेंट कर ली जाती है / निकाली जाती है तो वह राशि बीमा कम्पनी द्वारा निगम को देय होगी बशर्ते जिसमें बीमा पालिसी की शर्तो के मुताबिक बीमा कंपनी का दायित्व बनता हो।

18. न्यायालय आदेश की पालना में मृत्यु प्रकरणों मे 50,000 हजार रूपये तथा अंपगता प्रकरणों में 25,000 रूपये का अंतरिम भुगतान मय ब्याज के यदि निगम को करना पडे तो यह राशि बीमा कंपनी द्वारा निगम को तुरन्त पुर्नभरण करनी होगी बशर्ते वाद की सूचना तुरन्त लिखित रूप में निगम बीमा कम्पनी को देगा व निगम सक्षम न्यायालय में बीमा कंपनी को परिवादी बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करेगा। यदि बीमा कम्पनी को परिवादी नहीं बनाया गया है।

19. बीमा कम्पनी द्वारा निगम की वाहनों से हुई दुर्घटनाओं के क्लेम के विवरण के साथ सर्वेयर द्वारा तैयार की दुर्घटनाग्रस्त वाहन की दुर्घटना रिपोर्ट एवं कम्पनी द्वारा किये गये बीमा क्लेम भुगतान की वाहन संख्या / दिनांकवार रिपोर्ट भुगतान के समय डीलक्स आगार को पत्र अथवा ई—मेल rsrtc.cmdlx@gmail.com के जरिये उपलब्ध करानी होगी एवं कोर्ट के बाहर सुलटाये गये प्रकरणों का विवरण तथा कोर्ट द्वारा निर्णित किये गये प्रकरणों का विवरण एवं मुआवजा राशि भुगतान का विवरण पत्र त्रैमासिक मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार, जयपुर को उपलब्ध कराया जावेगा तथा प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार, जयपुर को प्रेषित की जावेगी।

20. बीमा कम्पनी द्वारा अधिकृत वकीलों / अन्वेक्षकों की सूची मय नाम व पता एवं टेलीफोन नंबर मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार एवं मुख्यालय को उपलब्ध करवानी होगी। जिससे दुर्घटना घटित होने पर सूचना भेजी जा सके।

21. राज्य के बाहर एवं आगार कार्यालय क्षेत्र के बाहर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के लिये अधिकृत वकीलों / अन्वेक्षकों की व्यवस्था भी बीमा कम्पनी को करनी होगी और पालिसी शर्तो के अन्तर्गत इसकी सूचना भी निगम को देनी होगी।

22. यदि न्यायालय के अवार्ड / निर्णय / आदेश की अनुपालना में बीमा कंपनी का दायित्व बनने स्थिति में यदि निगम की ओर से न्यायालय को राशि जमा करानी पडी अथवा अटेचमेंट के जरिये निगम द्वारा भुगतान करना पडा तो उस राशि का पुर्नभरण द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा ।

23. यह कि यह अनुबन्ध—पत्र में वर्णित किसी शर्त का उल्लंघन होने अथवा कोई विवाद उत्पन्न होने पर विवाद निस्तारण हेतु भारतीय आरबिट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। इससे संबंधित समस्त खर्च हारने वाले पक्ष (जिसके विरूद्ध आर्बीट्रेशन का निर्णय होगा) द्वारा वहन की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

निविदा प्रपत्र संख्याः—एफ / बीमा / डी / 20—2021 / 01 **दिनांकः—06.05.2020**

24. यह कि अनुबन्ध के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद निपटारे के लिये जयपुर में स्थित न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार रहेगा। जयपुर से बाहर के न्यायालय का क्षेत्राधिकारी वर्जित रहेगा।
25. बीमा पॉलिसी की अवधि बसों के वर्तमान बीमा अवधि की समाप्ति दिनांक से प्रारंभ होगी अर्थात वर्तमान बीमा समाप्ति दिनांक एवं पुनः बीमा प्रारंभ दिनांक में किसी प्रकार का अन्तराल नहीं होगा।
26. बीमा अवधि में घटित दुर्घटना संबंधी प्रकरण यदि बीमा अवधि के बाद भी न्यायालय में दायर होते है तो द्वितीय पक्ष (बीमा कम्पनी) बीमा पॉलिसी की शर्तों, दशाओं, नियमों एवं उपनियमों व मोटर वाहन अधिनियम,1988 के तहत पूर्ण जिम्मेदार होगी।
27. दुर्घटना होने पर पीड़ित पक्ष के द्वारा कहीं भी (राज्य या, राज्य के बाहर) दावा दायर करने पर द्वितीय पक्ष (बीमा कम्पनी) की ही पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इसके लिये कोई अतिरिक्त चार्ज प्रथम पक्ष वहन नहीं करेगा।

प्रथम पक्ष **द्वितीय पक्ष**

हस्ताक्षर मय पद एवं मोहर **हस्ताक्षर मय पद एवं मोहर**

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

निविदा प्रपत्र संख्याः—एफ/बीमा/डी/20—2021/01 **दिनांकः—06.05.2020**

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।
कॉम्प्रेहेन्सिव बीमित स्कैनिया वाहनों की सूचना (दिनांक 01.05.2020 की स्थितिनुसार)

क्र0 सं0	वाहन पंजीयन नंबर	बीमा पॉलिसी प्रारंभ दिनांक	बीमा वैद्यता समाप्ति दिनांक	क्लेम की स्थिति	बैठक क्षमता	वर्तमान पॉलिसी में नॉ—क्लेम बोनस का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	आरजे.14.पीडी.3323	17.06.2019	16.06.2020	Claim	43	00
2	आरजे.14.पीडी.3384	17.06.2019	16.06.2020	Claim	43	00
3	आरजे.14.पीडी.3385	17.06.2019	16.06.2020	Claim	43	25
4	आरजे.14.पीडी.3386	17.06.2019	16.06.2020	NO Claim	43	25
5	आरजे.14.पीडी.3520	17.06.2019	16.06.2020	NO Claim	43	25
6	आरजे.14.पीडी.3521	17.06.2019	16.06.2020	NO Claim	43	20
7	आरजे.14.पीडी.3522	17.06.2019	16.06.2020	No Claim	43	00
8	आरजे.14.पीडी.3523	17.06.2019	16.06.2020	Claim	43	25
9	आरजे.14.पीडी.3524	05.08.2019	04.08.2020	Claim	43	00
10	आरजे.14.पीडी.5376	12.08.2019	11.08.2020	No Claim	43	00
11	आरजे.14.पीडी.5377	12.08.2019	11.08.2020	NO Claim	43	20
12	आरजे.14.पीडी.5378	12.08.2019	11.08.2020	Claim	43	35
13	आरजे.14.पीडी.3322	31.08.2019	30.08.2020	Claim	43	20
14	आरजे.14.पीडी.6293	29.10.2019	28.10.2020	NO Claim	43	00
15	आरजे.14.पीडी.6294	29.10.2019	28.10.2020	NO Claim	43	00
16	आरजे.14.पीडी.6702	16.12.2019	15.12.2020	No Claim	51	00
17	आरजे.14.पीडी.6703	16.12.2019	15.12.2020	NO Claim	51	20
18	आरजे.14.पीडी.6704	16.12.2019	15.12.2020	NO Claim	51	25
19	आरजे.14.पीडी.6705	16.12.2019	15.12.2020	NO Claim	51	00
20	आरजे.14.पीडी.6748	28.12.2019	27.12.2020	Claim	43	35
21	आरजे.14.पीडी.6749	28.12.2019	27.12.2020	NO Claim	43	35
22	आरजे.14.पीडी.6750	28.12.2019	27.12.2020	NO Claim	43	00
23	आरजे.14.पीडी.6751	28.12.2019	27.12.2020	Claim	43	00
24	आरजे.14.पीडी.6757	11.01.2020	10.01.2021	NO Claim	43	25
25	आरजे.14.पीडी.6758	11.01.2020	10.01.2021	Claim	43	20
26	आरजे.14.पीडी.6950	07.03.2020	06.03.2021	NO Claim	49	35
27	आरजे.14.पीडी.6951	07.03.2020	06.03.2021	NO Claim	49	35

————————

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ/बीमा/डी/20–2021/01 दिनांकः–06.05.2020

Authority Letter

(To be given in the letter head of IRDA Approved Insurance Company)

Date:

I/We the Authorized Authority of ____ appoint Branch office_________________________ our representative to participate in Limited Source procurement process of RSRTC through login id____ (As registered on http://eproc.rajasthan.gov.in). Representative of M/s___________________________________is also authorized to attend meeting and submit technical and commercial bid as required by procuring entity in the course of processing of Limited Source Procurement Process.

____

(Name&Signature of authorized signatory)

____

(Name&Signature on behalf of Insurance Company with seal)

निविदा प्रपत्र संख्याः–एफ/बीमा/डी/20–2021/01 दिनांकः–06.05.2020

प्रपत्र–अ

Bid Security Declaration for Govt. Departments

Form of Performance Security Declaration for Govt. Departments

Date:__________________(Insert Day, Month and Year)
Contract Name and No.________________(Insert name and number of Contract)

To:_______________(insert Designation and complete address of Procuring Entity)

We, the undersigned, declare that:
We, understand that, According to your conditins, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We Accept that we will automatically be suspended from being eligible for bidding in any contract with you, (insert designation of the Procuring Entity), for the period of time of (insert number of months or years, as required by the Procuring Entity) starting on, if we are in breach of our obligation (s) under the bid conditions, more speciafically, if we:

(a) Withdras of modify our Bid after deadline for submission of bids, during the period of bid validity; or
(b) having been notified during the period of bid validity, about the acceptance of our Bid by you,
    (i) fail or refuse to execute the contract agreement within the time period, or
    (ii) fail or refuse to furnish the performance security as applicable within the time period.
    (iii) Breach a provision of the Code of integrity specified in the RTPP Act, RTPP rules.

we understand this Bid-securing Declaration shall expire if we are not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of your notification to us of the name of the successful Bidder; or (ii) thirty day after the expiration of our Bid.

Signed_________________

In the Capacity of_______________

Name_________________________

Duly authorized to sign the Contract for and on behalf of_______________

Date/Monts/Year______________

Corporate Seal________________

निविदा प्रपत्र संख्याः—एफ/बीमा/डी/20—2021/01 दिनांकः—06.05.2020

प्रपत्र—ब

Form of Performance Security Declaration for Govt. Departments

Date:__________________(Insert Day, Month and Year)
Contract Name and No.________________(Insert name and number of Contract)

To:_______________(insert Designation and complete address of Procuring Entity)

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, the contract must be supported by a performance Security Declaratin as a guarantee to ensure fulfilment of our all performance obligations under the Contract For_________________ (Insert name of subject matter of procurement).

We accept that we will automatically be suspended from being eligible for bidding in any contract with you for the period of time of one year starting on the date that we recive a notification from RSRTC that our performance Security Declaration is executed, if we are in breach of any of our performance obligation under the conditions of the contract, we understand this performance Security declaration shall expire after 60 days of completion of our all obligation under the contract including Defect Libility, Warranty/Guarantee, operation, maintenance, etc. in accordance with the conditions of the contract.

Signed_________________

In the Capacity of_______________

Name_________________________

Duly authorized to sign the Contract for and on behalf of_______________

Date/Monts/Year______________

Corporate Seal________________